

# चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/10923  
दिनांक : 27-3-2021

सेवा में,

सचिव,

राम चमेली चडडा विश्वास गर्ल्स कालेज,  
गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 05.03.2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को प्राचार्य पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1-	Dr. Nectur Chawla	Principal	M.A. (Eco.) MCA, M.Sc. M.Ed. Ph.D.	Prof. M.K. Gupta CCS University, Meerut Prof. R.K. Soni CCS University, Meerut Prof. Beer Pal Singh CCS University, Meerut

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को प्राचार्य पद पर शासन/ यू0जी0सी0/ एन0सी0टी0ई0/ बी0सी0आई0/ एम0सी0आई0/ एन0सी0आई0/ सी0सी0आई0एम0/ ए0आई0सी0टी0 के मानकानुसार पाँच वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/ त्यागपत्र/ निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे। प्राचार्य के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/ महाविद्यालय का होगा। चयनित प्राचार्य के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव

(3)

**चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ**  
**Ch. Charan Singh University, Meerut**



पत्रांक : सम्बद्धता/248  
दिनांक : 22.4.2022

सेवा में,  
सचिव/प्राचार्य  
राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज,  
गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता/1713 दिनांक 05.07.2018, विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता/208 दिनांक 18.09.2017 एवं विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता/1712 दिनांक 05.07.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा महाविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संकलित एम0एड0 पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा निम्न प्रिंसिपल इन प्रोफेसर ग्रेड, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर को शासन/ यू0जी0सी0/बी0सी0आई0/आई0एन0सी0/ ए0आई0सी0टी0/ सी0सी0आई0एम0/ एन0सी0टी0ई0 के मानकानुसार तीन वर्ष हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। जो निम्न प्रकार है:-

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1-	Dr. Neetu Chawla	Principal in Professor Grade	M.Sc., M.Ed., MCA Ph.D (07)	Prof. Suraksha Pal CCS University, Meerut Prof. J.S. Bhardwaj CCS University, Meerut Prof. Dinesh Kumar CCS University, Meerut Prof. Suraksha Pal (Retd.) CCS University, Meerut Dr. Shikha Chaturvedi N.A.S. College, Meerut
2-	Dr. Vidyanand Pandey	Asso. Prof.	M.Ed., Ph.D. (85)	----- do ----- ----- do ----- ----- do ----- ----- do -----
3-	Dr. Namita Sharma	Asst. Prof.	M.Ed., Ph.D. (10)	
4-	Mrs. Ashish Mittal	Asst. Prof.	M.Sc., M.Ed., NET	
5-	Dr. Babita Chaudhary	Asso. Prof.	M.Sc., M.Ed, M.Phil, Ph.D (13)	
6-	Dr. Vedmeena Singh	Asst. Prof.	M.A. M.Ed., Ph.D. (09)	

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 23.08.2011 के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में तीन वर्ष हेतु अनुमोदित प्रिंसिपल इन प्रोफेसर ग्रेड, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर का कार्यकाल तीन वर्ष के स्थान पर पाँच वर्ष कर दिया गया है।

अतः शासनादेश दिनांक 23.08.2011 के अनुपालन में उपरोक्त प्रिंसिपल इन प्रोफेसर ग्रेड, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर को तीन वर्ष के स्थान पर पाँच वर्ष हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

नोट:- शेष शर्तें विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता/1713 दिनांक 05.07.2018, विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता/208 दिनांक 18.09.2017 एवं विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता/1712 दिनांक 05.07.2018 की भांति यथावत् रहेगी।

भवदीय

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/1554  
दिनांक : 28.6.2023

सेवा में,  
सचिव/प्राचार्य,  
राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज,  
गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 20.02.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने महाविद्यालय/संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित एम0एड0 पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान किये जाने क

अनुरोध किया गया है।

**S.N. Name**  
1- Dr. Sangeeta Solanki

**Design**  
Asso. Prof.

**Qualification**  
M.Com. M.A., M.Ed, Ph.D.

**Univ. Expert**  
Dr. Neeta Kaushik  
J.V. Jain College, SRE  
Dr. Rachna Pathak (Retd)  
N.A.S. College, Meerut  
----- do -----

2- Dr. Naveesha Agarwal

Asst. Prof. M.A., M.Ed, Ph.D.

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित एम0एड0 पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थियों को एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शासन/यूजी0सी0/नियामक संस्था के मानकानुसार अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन रहने तक उपरोक्त शिक्षकों की सेवाये संतोषजनक रहने तक, यथावत रहेगी। शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तरता से अपनाया आवश्यक है। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि चयनित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र की दशा में विलम्बतम 15 दिवसों में विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाएगा तथा रिक्त स्थान की आपूर्ति के लिए तुरन्त चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करेगे। चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्रमाण पत्र तथा संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी अभिलेख विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्ति के 10 दिवसों में उपलब्ध कराये जाएगे। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

कार्या0 अधीक्षक (सम्बद्धता)  
28/6/23

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/248  
दिनांक : 22/4/2022

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य

राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज,  
गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता/1713 दिनांक 05.07.2018, विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता/208 दिनांक 18.09.2017 एवं विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता/1712 दिनांक 05.07.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा महाविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संकलित एम0एड0 पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा निम्न प्रिंसिपल इन प्रोफेसर ग्रेड, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर को शासन/यू0जी0सी0/बी0सी0आई0/आई0एन0सी0/ए0आई0सी0टी0/सी0सी0आई0एम0/एन0सी0टी0ई0 के मानकानुसार तीन वर्ष हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। जो निम्न प्रकार है:-

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1-	Dr. Neetu Chawla	Principal in Professor Grade	M.Sc., M.Ed., MCA Ph.D (07)	Prof. Suraksha Pal CCS University, Meerut Prof. J.S. Bhardwaj CCS University, Meerut Prof. Dinesh Kumar CCS University, Meerut Prof. Suraksha Pal (Retd.) CCS University, Meerut Dr. Shikha Chaturvedi N.A.S. College, Meerut
2-	Dr. Vidyanand Pandey	Asso. Prof.	M.Ed., Ph.D. (85)	----- do -----
3-	Dr. Namita Sharma	Asst. Prof.	M.Ed., Ph.D. (10)	----- do -----
4-	Mrs. Ashish Mittal	Asst. Prof.	M.Sc., M.Ed., NET	----- do -----
5-	Dr. Babita Chaudhary	Asso. Prof.	M.Sc., M.Ed, M.Phil, Ph.D (13)	----- do -----
6-	Dr. Vedmeena Singh	Asst. Prof.	M.A. M.Ed., Ph.D. (09)	----- do -----

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 23.08.2011 के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में तीन वर्ष हेतु अनुमोदित प्रिंसिपल इन प्रोफेसर ग्रेड, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर का कार्यकाल तीन वर्ष के स्थान पर पाँच वर्ष कर दिया गया है।

अतः शासनादेश दिनांक 23.08.2011 के अनुपालन में उपरोक्त प्रिंसिपल इन प्रोफेसर ग्रेड, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर को तीन वर्ष के स्थान पर पाँच वर्ष हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

नोट:- शेष शर्तें विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता/1713 दिनांक 05.07.2018, विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता/208 दिनांक 18.09.2017 एवं विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता/1712 दिनांक 05.07.2018 की भांति यथावत् रहेगी।

भवदीय

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/2012  
दिनांक : 02/08/2022

सेवा में,  
सचिव/प्राचार्य,  
राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज,  
गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 04.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को संस्थान में एम0एड0 पाठ्यक्रम में प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1-	Dr. Nishi Aggarwal	Professor	M.A. (Eco.) M.Ed., Ph.D.	Prof. V.K. Jaiswal CCS University, Meerut Prof. N.C. Lohani CCS University, Meerut Dr. Piyush Chauhan MMH College, GZB

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार संस्थान में उपरोक्त अभ्यर्थी को एम0एड0 पाठ्यक्रम में प्रोफेसर पद पर शासन/यू0जी0सी/नियामक संस्था के मानकानुसार अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति अधिवर्षता आयु पूर्ण किये जाने तक, यथावत रहेगी। प्राचार्य के शिक्षण गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तरता से अपनाया जाना आवश्यक है। चयनित अभ्यर्थी को सजा असन्तोषजनक होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का अनुपालन करते हुए विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु/त्यागपत्र की दशा में विलम्बतम 15 दिवसों में विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाएगा तथा रिक्त स्थान की आपूर्ति के लिए तुरन्त चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करेगी। चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्रमाण पत्र तथा संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी अभिलेख विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्ति के 10 दिवसों में उपलब्ध कराये जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

कार्या0 अधीक्षक (सम्बद्धता)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/1630  
दिनांक : 12-07-2022

सेवा में,  
सचिव/प्राचार्य,  
राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज,  
गाजियाबाद।  
महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 04.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने महाविद्यालय/संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित एम0एड0 पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उपाचार्य पद पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

S.N. Name  
1- Dr. Namita Sharma

Design Qualification  
Asso. Prof. M.A., M.Ed., Ph.D.

Univ. Expert  
Dr. (Km.) Neeta Kaushik  
J.V. Jain College, SRE  
Dr. Rachna Pathak (Retd.)  
N.A.S. College, Meerut

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित एम0एड0 पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थियों को उपाचार्य पद पर शासन/यू0जी0सी0/नियामक संस्था के मानकानुसार अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन रहने तक उपरोक्त शिक्षकों की सेवाये संतोषजनक रहने तक, यथावत रहेगी। शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तरता से अपनाया आवश्यक है। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि चयनित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र की दशा में विलम्बतम 15 दिवसों में विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाएगा तथा रिक्त स्थान की आपूर्ति के लिए तुरन्त चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करेगे। चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्रमाण पत्र तथा संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी अभिलेख विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्ति के 10 दिवसों में उपलब्ध कराये जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/1631  
दिनांक : 12-07-2022

सेवा में,  
सचिव/प्राचार्य,  
राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज,  
गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 04.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने महाविद्यालय/संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित एम0एड0 पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य पद पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1-	Mr. Dina Nath Yadav	Asst. Prof.	M.Sc., M.Ed., Ph.D.	Dr. (Km.) Neeta Kaushik J.V. Jain College, SRE Dr. Rachna Pathak (Retd.) N.A.S. College, Meerut
2-	Ms. Bharti Sharma	Asst. Prof.	M.A. M.Ed., NET	----- do -----
3-	Mr. Mithilesh Kumar	Asst. Prof.	M.A., M.Ed, NET	----- do -----
4-	Mr. Ganesh Kesharwani	Asst. Prof.	M.Sc., M.Ed, NET	----- do -----

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित एम0एड0 पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य पद पर शासन/यू0जी0सी0/नियामक संस्था के मानकानुसार अनुमोदन प्राप्त शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन रहने तक उपरोक्त शिक्षकों की सेवाये संतोषजनक रहने तक, यथावत रहेगी। शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तरता से अपनाया आवश्यक है। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी सविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि चयनित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र की दशा में विलम्बतम 15 दिवसों में विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाएगा तथा रिक्त स्थान की आपूर्ति के लिए तुरन्त चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करेंगे। चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्रमाण पत्र तथा संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी अभिलेख विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्ति के 10 दिवसों में उपलब्ध कराये जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/4543  
दिनांक : 09-12-2019

सेवा में,  
सचिव,  
राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज,  
गालियाबाद।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 22.05.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित एम0एस0सी0 (रसायन विज्ञान) पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1-	Dr. Seema Agarwal	Asst. Prof.	M.Sc. Ph.D. (15)	Dr. K.L. Anand Dr. D.L. Arora
2-	Dr. Shaifali Agarwal	Asst. Prof.	M.Sc. Ph.D. (10)	----- do -----
3-	Mrs. Komica	Asst. Prof.	M.Sc. NET (05)	----- do -----

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित एम0एस0सी0 (रसायन विज्ञान) पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शासन/ यू0जी0सी0/ एन0सी0टी0ई0/ वी0सी0आई0/ एम0सी0आई0/ एन0सी0आई0/ सी0सी0आई0एम0/ ए0आई0सी0टी0 के मानकानुसार तीन वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा। चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसका विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव

Recd/2252  
dt. 4/1/20



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/4726  
दिनांक : 03.1.2020

सेवा में,  
सचिव,  
राम चमेली चड़डा विश्वास गर्ल्स कालेज,  
गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 22.05.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में  
असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

<u>S.N.</u>	<u>Name</u>	<u>Design</u>	<u>Qualification</u>	<u>Univ. Expert</u>
1-	Dr. Shaloo Bhasin	Asst. Prof.	M.Com. Ph.D.	Dr. Sudhir Gupta Dr. Rakesh Kumar
2-	Dr. Shikha Jha Sharma	Asst. Prof.	M.Com. Ph.D.	----- do -----
3-	Ms. Shailja	Asst. Prof.	M.Com. NET	----- do -----
4-	Ms. Sakshi Mittal	Asst. Prof.	M.Com. NET	----- do -----
5-	Ms. Anita Malik	Asst. Prof.	M.Com. NET	----- do -----

संस्थान कुलमति जी के आदेशानुसार स्ववित्त-पोषित योजना-के अन्तर्गत संचालित एम0काम0 पाठ्यक्रम में  
असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शासन/ ए0जी0सी0/ एन0सी0टी0ई0/ वी0सी0आई0/ एम0सी0आई0/  
एन0सी0आई0/ सी0सी0आई0एम0/ ए0आई0सी0टी0 के मानकानुसार तीन वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ  
प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम  
15 दिना में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है  
कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के सम्बन्ध में अद्यतन  
कार्यवाही के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा। चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर  
के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के  
अधिकार स्वतंत्र होंगे।

भवदीय

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव

3/12/2020

IMG-20191009-WAD

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मरहट  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक सम्बद्धता/240  
दिनांक 18/04/2009

सेवा में,  
सचिव,  
रण चमेली वडा विश्वास वर्ल्स कालेज,  
माजियाबाद।

महोदय

कृपया अपने पत्र-दिनांक 02/12/2015 को/अवलोकन करने का कार्य को निम्नलिखित प्रमाणित  
संश्लिष्ट वीडियो कार्यक्रम में विश्वविद्यालय पत्रांक सम्बद्धता/240 दिनांक 18/04/2009 को अनुमोदित किया गया है।  
एन शिक्षकों की समयावधि बढ़ाये जाने का अनुमोदित किया गया है।

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1	Dr. Neetu Chawla	HOD	M.A.(Eco.), B.Ed., M.Ed., MCA., Ph.D.(Edu.06)	Dr. M.L. Gupta SSM College, Pithor Dr. P.N. Singhal J.N.S. College, Meerut
2	Ms. Anupama Chaudhary	Lecturer	M.A.(Socio.), B.Ed., M.Ed. M.Phil (Edu.02)	
3	Mrs. Veena Dalmia	Lecturer	M.A.(Socio.), B.Ed., M.Ed.	

अभिनेय कुलपति जी के आदेशानुसार शक्ति प्रोपिड कालेज के उत्तरांचल विभागाध्यक्ष के द्वारा विश्वविद्यालय पत्रांक सम्बद्धता/240 दिनांक 18/04/2009 द्वारा अनुमोदित किया गया है।  
पत्रांक सम्बद्धता/240 दिनांक 18/04/2009 को अनुमोदित किया गया है।  
कार्य के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/अवसर/निवृत्ति  
दशा में विद्यमान 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त उक्त दिनांक में  
सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नियमित अभिनेय कालेज एक ही संस्थान में के प्रस्तुत किया जायेगा।  
में विश्वविद्यालय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय,  
उपकुलसचिव (सम्बद्धता)  
कौ. कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/99 2.0  
दिनांक : 04.12.2020

सेवा में,  
सचिव,  
राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कालेज,  
गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 02.11.2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित वी0सी0ए0 पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

<u>S.N.</u>	<u>Name</u>	<u>Design</u>	<u>Qualification</u>	<u>Univ. Expert</u>
1-	Mrs. Rakhi Sharma	Asst. Prof.	MCA, M.Phil	Dr. Prabha Rani MMH College, GZB Prof. Shiv Raj Singh CCS Uni. Meerut
2-	Ms. Shikha Tiwari	Asst. Prof.	MCA	----- do -----
3-	Ms. Anjali Sharma	Asst. Prof.	MCA	----- do -----
4-	Ms. Neha Gaur	Asst. Prof.	MCA	----- do -----
5-	Ms. Anshu Shukla	Asst. Prof.	MCA	----- do -----

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित वी0सी0ए0 पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को सहायक आचार्य पद पर शासन/ यू0जी0सी0/ एन0सी0टी0ई0/ वी0सी0आई0/ एम0सी0आई0/ एन0सी0आई0/ सी0सी0आई0एम0/ ए0आई0सी0टी0 के मानकानुसार पाँच वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/ त्यागपत्र/ निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे सहायक आचार्य के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/ महाविद्यालय का होगा। चयनित सहायक आचार्य के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

03-12-2020  
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता / 533  
दिनांक : 23.02.2020

सेवा में,  
सचिव / प्राचार्य,  
राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज,  
गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 23.02.2020 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा आपने संस्थान में सम्बद्धता/3336 दिनांक 28.01.2016 एवं विश्वविद्यालय पत्रांक सम्बद्धता/533 दिनांक 13.05.2016, विश्वविद्यालय पत्रांक सम्बद्धता/3336 दिनांक 28.01.2016 एवं विश्वविद्यालय पत्रांक सम्बद्धता/10 दिनांक 01.08.2016 द्वारा अनुपूर्विक अडिस्टेंट प्रोफेसर की समवायि वहाये जाने का अनुरोध किया गया है। विनम्र विवरण निम्नवत् है-

S.N.	Name	Design	Qualification	Only, Expert
1-	Mrs. Veena Dalmia	Asst. Prof.	M.A. (Socio.) B.Ed. M.Ed. Ph.D.	Dr. M.L. Gupta SSV College, Dapur D.P.N. Singhal D.N. College, Meerut
2-	Neelam Srivastava	Asst. Prof.	M.A. M.Sc. Ph.D.	Dr. Ajay Kumar Mizoram College, Mizoram Dr. Shikha Chaturvedi B.A.S. College Meerut
3-	Ms. Pallavi Sharma	Asst. Prof.	M.A. M.Sc. NET	do
4-	Dr. Namita Sharma	Asst. Prof.	M.A. M.Ed. Ph.D.	do
5-	Dr. Deepthi Kats	Asst. Prof.	M.A. (Org. & Prg.) Ph.D. (Org. & Prg.)	Dr. Nisha JKP College, MZN Dr. K.P. Khushni KLNJ, Meerut

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्वयंसेवक शौक्या के अन्तर्गत अर्थात्कृत शैक्षणिक कार्यक्रम में उपरोक्त अर्थार्थी को अडिस्टेंट प्रोफेसर पद पर धारण / यू0बी0सी0 / एन0सी0टी0ई0 / एन0सी0आई0 / एन0सी0आई0 / एन0सी0आई0 / एन0सी0आई0 / एन0सी0आई0 के पदानुसार चयन करने हेतु अनुपूर्विक इस चयन के लिये कृत किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मूल्य / त्यागपत्र / निष्कासन की प्रक्रिया में किलम पत्र को दिनांक में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अर्थार्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे अडिस्टेंट प्रोफेसर के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्रावधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान / महाविद्यालय का होगा। चयनित अडिस्टेंट प्रोफेसर के वित्तीय में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्तान होगा।

भवदीय

सहाय कुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/1136

दिनांक : 09/06/2022

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,  
राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज,  
गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 11.03.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने महाविद्यालय/संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित वी0एड0 पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य पद पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1-	Mr. Satish Babu	Asst. Prof.	M.Com. M.Ed. NET	Dr. Poonam Pandey (Retd.) Machhara, Meerut Dr. Ajay Kumar Meerut College, Meerut

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित वी0एड0 पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य पद पर शासन/यू0जी0सी0/नियामक संस्था के मानकानुसार अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन रहने तक उपरोक्त शिक्षकों की सेवाये संतोषजनक रहने तक, यथावत रहेगी। शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तरता से अपनाया आवश्यक है। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि चयनित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र की दशा में विलम्बतम 15 दिवसों में विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाएगा तथा रिक्त स्थान की आपूर्ति के लिए तुरन्त चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करेंगे। चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्रमाण पत्र तथा संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी अभिलेख विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्ति के 10 दिवसों में उपलब्ध कराये जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)

कृते कुलसचिव

चाधरा चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/3336  
दिनांक : 29/12/16

सेवा में,  
सचिव,  
राम धमेली चट्टा विश्वास भर्त्स कालेज,  
मोदीनगर (गालियकवांद)

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 02.12.2015 का सुदृढ़ प्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा आपने परम्परा में स्थापित प्रोफिट योजना के अंतर्गत संश्लिष्ट बी०एड० पाठ्यक्रम में धन्य अभिति द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रथमा पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expect
4	Ms. Neelam Srivastava	Lecturer	M.Sc (Chem.), B. Ed., M.A. (Edu.)	Dr. Ajay Kumar Meerut College, Meerut Dr. Shikha Chaturvedi N.A.S. College, Meerut
5	Ms. Pallavi Sharma	Lecturer	M.A (Eng.), B. Ed., M. Ed	—do—
6	Ms. Resha Upel	Lecturer	M.A (Hindi), B. Ed., M. Ed	—do—
7	Dr. Paramjeet Kaur	Lecturer	M.A (Psy.), B. Ed., M. Ed Ph.D. (Edu. 83)	—do—
8	Ms. Parvati Sharma	Lecturer	M.Com., B. Ed., M. Ed	—do—
9	Ms. Poojya Maharia	Lecturer	M.A (Edu.), B. Ed., M. Ed M.Phil. (Edu. 83)	—do—
10	Mr. Ritesh Chaudhary	Lecturer	M.Sc (Chem.), B. Ed., M. Ed M.A. (Edu.)	—do—
11	Ms. Vineta M. Chaudhary	Lecturer	M.A. (Dirg. & Prg. / Hindi/Socio), B. Ed., M. Ed., M. Phil (Edu. 83) Ph.D. (Edu. 14)	—do—
12	Dr. Namra Sharma	Lecturer	M.A. (Eco.), B. Ed., M. Ed	—do—

उपरोक्त विवरण परीक्षा द्वारा प्रथमा पद हेतु उपरोक्त अभ्यर्थियों की संस्तुति की गयी है। विषय विशेषज्ञ की संस्तुति एवं विश्वविद्यालय में उपस्थापित करने एवं अभियंताओं के अन्तर्गत कुलपति जी के आदेशानुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों की एन०एड० बी०एड० के मानकानुसार प्रत्येक पर अनुमोदन इस तरह के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/व्यवस्था/निष्काशन को दूर में मिलाना 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। साथ में अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्ति अनुमोदित केंद्र एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे अन्वया को शिक्षा में विश्वविद्यालय कार्यवाही करने को हित संतुष्ट होगा।

महोदय,

3/10

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)  
कुलपति कार्यालय

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता / १३  
दिनांक : 11/4/2022

सेवा में,

सचिव / प्राचार्य,  
राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज,  
गंजियाबाद।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 29/12/2021 का अवलोकन करने का कृष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी०ए० (गृहविज्ञान) पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1-	Ms. Neha Maheshwari	Asst. Prof. (Home Sci.)	M.Sc. (H.S.) NET	Dr. Uma Joshi VMLG College, GZB Dr. Anjali Singh VMLG College, GZB

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी०ए० (गृहविज्ञान) पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शासन / यू०जी०सी० / एन०सी०टी०ई० / बी०सी०आई० / एम०सी०आई० / एन०सी०आई० / सी०सी०आई०एम० / ए०आई०सी०टी० के मानकानुसार पाँच वर्ष हेतु अनुमोदन निम्न शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु / त्यागपत्र / निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान / महाविद्यालय का होगा। चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय,

09/04

सहा० कुलसचिव (सम्बद्धता)

कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut

Dept



पत्रांक : सम्बद्धता/1137  
दिनांक : 09/06/2022

सेवा में,  
सचिव/प्राचार्य,  
राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज,  
गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 07.04.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने महाविद्यालय/संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी0एड0 (संगीत) पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य पद पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1-	Ms. Anjali Agarwal	Asst. Prof.	M.A.(Music) NET	Dr. Reena Gupta I.N. College, Meerut Dr. Madhuri Sharma VMLG College, GZB

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी0एड0 (संगीत) पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य पद पर शासन/यू0जी0सी0/नियामक संस्था के मानकानुसार अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन रहने तक उपरोक्त शिक्षकों की सेवाएं संतोषजनक रहने तक, यथावत रहेगी। शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तरता से अपनाया आवश्यक है। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि चयनित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र की दशा में विलम्बतम 15 दिवसों में विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाएगा तथा रिक्त स्थान की आपूर्ति के लिए तुरन्त चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करेंगे। चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्रमाण पत्र तथा संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी अभिलेख विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्ति के 10 दिवसों में उपलब्ध कराये जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते- कुलसचिव



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता / 35 /  
दिनांक : 24-6-2021

सेवा में,

सचिव / प्राचार्य,  
राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज,  
गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 24.03.2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान ने स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी०एड० पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1-	Dr. Manisha Singh	Asst. Prof.	M.A. (Soci.) M.Ed. Ph.D.	Dr. Ajay Kumar Meerut College, Meerut Dr. Seema Sharma Meerut College, Meerut
2-	Dr. Veenam Goyal	Asst. Prof.	M.A. (Math.) M.Ed. Ph.D.	----- do -----
3-	Ms. Alka Chaudhary	Asst. Prof.	M.A. (Pol. Sci.) M.Ed. NET	----- do -----
4-	Ms. Rekha Modi	Asst. Prof.	M.A. (Hist.) M.Ed. NET	----- do -----

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी०एड० पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शासन / यू०जी०सी० / एन०सी०टी०ई० / बी०सी०आई० / एम०सी०आई० / एन०सी०आई० / सी०सी०आई०एम० / ए०आई०सी०टी०ई० के मानकानुसार पांच वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिद्यक की मृत्यु / त्यागपत्र / निष्काशन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्रावधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान / महाविद्यालय का होगा। चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सहाय कुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/635  
दिनांक : २५/५/२०२२

सेवा में,

सचिव,

राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज,  
गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 11.03.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में संचालित बी०एड० पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1-	Dr. Mamta Sharma	Asst. Prof.	M.Sc., M.Ed., Ph.D.	Dr. Poonam Pandey (Retd.) Machhara, Meerut
2-	Dr. Pratima Saxena	Asst. Prof.	M.A, M.Ed., Ph.D.	Dr. Ajay Kumar Meerut College, Meerut
3-	Mr. Nempal Singh	Asst. Prof.	M.A, M.Ed., NET	----- do -----
4-	Mr. Kuldeep	Asst. Prof.	M.Sc., M.Ed. NET	----- do -----

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी०एड० पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शासन/ यू०जी०सी०/ एन०सी०टी०ई०/ बी०सी०आई०/ एम०सी०आई०/ एन०सी०आई०/ सी०सी०आई०एम०/ ए०आई०सी०टी० के मानकानुसार पाँच वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/ त्यागपत्र/ निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/ महाविद्यालय का होगा। चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सहा० कुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/783  
दिनांक : 12.7.2021

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,  
राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज,  
गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 24.02.2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1	Mr. Sandeep Kumar Bhardwaj	Asst. Prof.	M.P.Ed. M.Phil. NET	Dr. Vandana Gupta VMLG College, GZB Dr. Pawan Kumar MMII College, GZB

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शारान/ यू0जी0सी0/ एन0सी0टी0ई0/ बी0सी0आई0/ एम0सी0आई0/ एन0सी0आई0/ सी0सी0आई0एम0 / ए0आई0सी0टी0 के मानकानुसार षॉच वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/ त्यागपत्र/ निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के सम्बन्ध में अद्यतन शारानादेशों के प्राविणतों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/ महाविद्यालय का होगा। चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव